



प्रेस नोट 01- दिनांक 07.10.2024

थाना फतेहपुर चौरासी, जनपद उन्नाव

दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना फतेहपुर चौरासी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 07.10.2024 को उ०नि० श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा थाना फतेहपुर चौरासी पर पंजीकृत मु०अ०सं०- 274/2024 धारा 74/352/64/351(3) बी०एन०एस० से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राजेश निषाद पुत्र जयनरायन निवासी ग्राम पपरिया थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव उम्र करीब 28 वर्ष को ग्राम पपरिया से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. राजेश निषाद पुत्र जयनरायन निवासी ग्राम पपरिया थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव उम्र करीब 28 वर्ष ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ०नि० श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह
2. का० आकाश सिंह
3. का० अंकित यादव





प्रेस नोट 02- दिनांक 07.10.2024

थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव

दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अचलगंज पुलिस द्वारा दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 07.10.2024 को उ०नि० श्री ध्रुव सिंह परिहार मय हमराह पुलिस बल द्वारा थाना अचलगंज पर पंजीकृत मु०अ०सं० 297/24 धारा 64/115(2)/352/351(2)/351(3)/127(2) बीएनएस व 5M/6 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त अन्ना उर्फ अनिल पुत्र रामकिशोर नि० ग्राम अचलगंज थाना अचलगंज जनपद उन्नाव को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

अन्ना उर्फ अनिल पुत्र रामकिशोर नि० ग्राम अचलगंज थाना अचलगंज जनपद उन्नाव।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ०नि० ध्रुव सिंह परिहार
2. का० जयपाल





प्रेस नोट 03- दिनांक 07.10.2024

थाना बांगरमऊ, जनपद उन्नाव

वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 07.10.2024 को उ0नि0 विनोद कुमार मय हमराह पुलिस बल द्वारा वारंटी अभि0 मुकेश कुमार पुत्र स्व0 कल्लू निवासी कुम्हार टोला गुलाम मुस्तफा कस्बा व थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 27 वर्ष सम्बन्धित केश न0 1227/2022 अ0सं0 33/22 धारा 2/3(1) यू0पी0 गैरेस्टर एक्ट थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव को घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का विवरण

मुकेश कुमार पुत्र स्व0 कल्लू निवासी कुम्हार टोला गुलाम मुस्तफा कस्बा व थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 27 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 900/11 धारा 3/25 A. ACT
मु0अ0सं0-415/15 धारा-380/411/457 IPC
मु0अ0सं0-425/15 धारा-41/401 IPC
मु0अ0सं0-71/20 धारा-60 आब0 अधि0
मु0अ0सं0 224/16 धारा 3/25 A. ACT
मु0अ0सं0-338/21 धारा-457/380/411 IPC
मु0अ0सं0-339/21, धारा-380/411 IPC
मु0अ0सं0-340/21, धारा-380/411 IPC
मु0अ0सं0-341/21, धारा-380/411 IPC
मु0अ0सं0-342/21 धारा-380/411 IPC
मु0अ0सं0-343/21 धारा-457/380/511 IPC
मु0अ0सं0 353/21 धारा 3/25 A. ACT,
मु0अ0सं0 33/22 धारा 2/3 (1) गैरेस्टर एक्ट

गिरफ्तारी करने वाली टीम

01. उ0नि0 विनोद कुमार
02. हे0कां0 शाहजहां खां





प्रेस नोट 04- दिनांक 07.10.2024

थाना सोहरामऊ, जनपद उन्नाव

धोखाधड़ी करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी तथा क्षेत्राधिकारी हसनगंज के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सोहरामऊ पुलिस द्वारा धोखाधड़ी करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 31.07.2024 को वादी श्री रामजी शुक्ला प्रशासन प्रबंधक नॉर्थ वेस्ट कैरिंग कंपनी एलएलपी की लिखित तहरीर पर थाना सोहरामऊ पर मु0अ0सं0 - 149/2024 धारा-406/420भादवि पंजीकृत किया गया था दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 467/468/471 भादवि की बढोत्तरी की गई थी तथा एक वांछित अभियुक्त शाह इन्तजार पुत्र इफ्तखार अहमद निवासी मुबारकपुर टांडा थाना टांडा जनपद अम्बेडकर नगर को दिनांक 18.09.2024 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा चुका है तथा एक अन्य अभियुक्त पवन प्रजापति पुत्र भुरकुण्डी निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष को दिनांक 23.09.2024 को जेल भेजा जा चुका है। आज दिनांक 07.10.2024 को व0उ0नि0 श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित एक अन्य अभियुक्त खालिद पुत्र मोहम्मद मुस्तकीम निवासी ग्राम मुन्डियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

01. खालिद पुत्र मोहम्मद मुस्तकीम निवासी ग्राम मुन्डियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. व0उ0नि0 श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह थाना सोहरामऊ, उन्नाव
2. उ0नि0 श्री मो0 असलम थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव ॥
2. का0 सत्यपाल सिंह थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव





प्रेस नोट 05- दिनांक 07.10.2024

थाना बिहार , जनपद उन्नाव

50 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिहार पुलिस द्वारा दो अभियुक्तों को 50 लीटर अवैध कच्ची शराब की बिक्री करते हुये गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 07.10.2024 को थाना बिहार पुलिस व आबकारी टीम द्वारा थाना बिहार क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री करते हुये दो अभियुक्त 01.नन्कऊ पुत्र स्व0 भोलू निवासी ग्राम केदारखेड़ा थाना बिहार जनपद उन्नाव उम्र करीब 55 वर्ष को कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब व 02. आशीष पुत्र देशराज निवासी ग्राम मोहिउद्दीनपुर थाना मौरावा जनपद उन्नाव उम्र करीब 28 वर्ष गिरफ्तार को कब्जे से 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बिहार पर मु0अ0स0 236/2024 धारा 60 Ex Act बनाम नन्कऊ पुत्र स्व0 भोलू उपरोक्त व मु0अ0सं0 237/2024 धारा 60 Ex Act बनाम आशीष पुत्र देशराज उपरोक्त पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्तगण का विवरण

- 01.नन्कऊ पुत्र स्व0 भोलू निवासी ग्राम केदारखेड़ा थाना बिहार जनपद उन्नाव उम्र करीब 55 वर्ष
02. आशीष पुत्र देशराज निवासी ग्राम मोहिउद्दीनपुर थाना मौरावा जनपद उन्नाव उम्र करीब 28 वर्ष

बरामदगी का विवरण- 50 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीम

- 1.उ0नि0 कृष्णेन्द्र कुमार थाना बिहार जनपद उन्नाव
- 2.उ0नि0 सज्जाद अली थाना बिहार जनपद उन्नाव
- 3.हे0का0 गुफरान वेग थाना बिहार जनपद उन्नाव

आबकारी टीम –

1. आब0निरी0 प्रतिभा सिंह क्षेत्र- 5 बीघापुर उन्नाव
- 2.आब0 सिपाही सन्नी सिंह क्षेत्र- 05 बीघापुर उन्नाव



प्रेस नोट 06- दिनांक 07.10.2024

थाना पुरवा , जनपद उन्नाव

10 किलाग्राम गांजे के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना पुरवा पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को 10 किलोग्राम गांजों के साथ गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 07.10.2024 को उ0नि0 श्री सभाजीत सिंह चौहान मय हमराह पुलिस बल द्वारा अवैध गांजे की बिक्री करते हुये एक अभियुक्त पुन्नू तिवारी उर्फ सुरेश चन्द्र तिवारी पुत्र स्व0 सालिगराम निवासी ग्राम कांथा थाना असोहा जनपद उन्नाव को मय कार ग्राम धौरहरा थाना पुरवा उन्नाव से कब्जे से 10 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना पुरवा पर मु0अ0सं0 269/2024 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत किया गया है तथा कार फोर्ड इकोस्पोर्ट स0-UP78DK2020 को 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया है।

अभियुक्त का विवरण

पुन्नू तिवारी उर्फ सुरेश चन्द्र तिवारी नि0 ग्राम कांथा थाना असोहा जनपद उन्नाव

बरामदगी का विवरण- 10 किलोग्राम अवैध गांजा व एक बिक्री में प्रयुक्त एक फोर्ड इकोस्पोर्ट कार

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ0नि0 सभाजीत सिंह चौहान
2. उ0नि0 सियाराम चौरसिया
3. उ0नि0 शिवपाल सिंह
4. हे0कां0 निर्मल सिंह
5. कां0 रामपाल





प्रेस नोट 07- दिनांक 07.10.2024

थाना मौरावा, जनपद उन्नाव

वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मौरावा पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 01.09.2024 को थाना मौरावा पर पजीकृत मु0अ0सं0 419/2024 धारा 115(2)/352/351(3)/333 बीएनएस में वांछित अभियुक्त राजा उर्फ मो0 शाहिद पुत्र मोहरम अली नि0 ग्राम सगौली थाना मौरावां उन्नाव उम्र 24 वर्ष को आज दिनांक 07.10.2024 को उ0नि0 अशोक कुमार दूबे मय हमराह पुलिस बल द्वारा ग्राम सगौली मजार से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

अभियुक्त का विवरण

राजा उर्फ मो0 शाहिद पुत्र मोहरम अली नि0 ग्राम सगौली थाना मौरावां उन्नाव

गिरफ्तारी करने वाली टीम

उ0नि0 श्री अशोक कुमार दुबे
कां0 तरून सिंह





प्रेस नोट 08- दिनांक 07.10.2024

थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव

चोरी की योजना बनाते हुये दो शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हसनगंज पुलिस द्वारा चोरी की योजना बनाते हुये दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 07.10.2024 को व0उ0नि0 इशरत हुसैन मय हमराह पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान दो शातिर अभियुक्तगण 1-अतुल सिंह पुत्र लाखन सिंह नि0 जोधाखेड़ा मजरा अमोइया थाना हसनगंज उन्नाव उम्र करीब 24 वर्ष 2-लवकुश सिंह पुत्र रामनरेश सिंह नि0 खेरवा अलादादपुर थाना हसनगंज उन्नाव उम्र करीब 20 वर्ष को चोरी की योजना बनाते समय पूछड़ा तिराहे से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद सरिया का टुकड़ा, एक अदद छैनी, एक अदद चाकू, एक अदद लोहे की हथौड़ी बरामद हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना हसनगंज पर मु0अ0सं0-237/24 धारा 313 बीएनएस व 4/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

अभियुक्तगण का विवरण

1. अतुल सिंह पुत्र लाखन सिंह नि0 जोधाखेड़ा मजरा अमोइया थाना हसनगंज उन्नाव उम्र करीब 24 वर्ष
2. लवकुश सिंह पुत्र रामनरेश सिंह नि0 खेरवा अलादादपुर थाना हसनगंज उन्नाव उम्र करीब 20 वर्ष.

अभि0 अतुल सिंह का आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0-229/18 धारा 379/411/506 आईपीसी थाना हसनगंज उन्नाव ।

मु0अ0सं0-230/18 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना हसनगंज उन्नाव ।

मु0अ0सं0-237/24 धारा 313 बीएनएस व 4/25 आर्मस एक्ट थाना हसनगंज उन्नाव ।

अभि0 लवकुश सिंह का आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0-281/17 धारा 392/411 आईपीसी थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव ।

मु0अ0सं0-282/17 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव ।

मु0अ0सं0-318/17 धारा 3(1) यू0पी0 गैगस्टर एक्ट थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव ।

मु0अ0सं0-237/24 धारा 313 बीएनएस व 4/25 आर्मस एक्ट थाना हसनगंज उन्नाव ।

बरामदगी का विवरण:-

एक अदद चाकू,एक अदद लोहे की हथौड़ी,02 अदद सरिया का टुकड़ा,एक अदद छैनी

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. व0उ0नि0 श्री इशरत हुसैन थाना हसनगंज उन्नाव ।
2. हे0का0 राजेश राय थाना हसनगंज उन्नाव ।
3. का0 दीपक कुमार थाना हसनगंज उन्नाव ।
4. का0 अमन यादव थाना हसनगंज उन्नाव ।





प्रेस नोट 09- दिनांक 07.10.2024

थाना बीघापुर, जनपद उन्नाव

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बीघापुर पुलिस द्वारा अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 07.10.2024 को व0उ0नि0 श्री सूरज सिंह मय हमराह पुलिस फोर्स द्वारा अभियुक्त पंकज शुक्ला पुत्र रमाशंकर शुक्ला उर्फ उमाशंकर निवासी ग्राम चौरा दोस्तीनगर थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव उम्र करीब 34 वर्ष को कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर कैंची मोड़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना बीघापुर पर मु0अ0सं0 197/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त का विवरण

पंकज शुक्ला पुत्र रमाशंकर शुक्ला उर्फ उमाशंकर निवासी ग्राम चौरा दोस्तीनगर थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव उम्र करीब 34 वर्ष मूल पता ग्राम मनिकापुर थाना पुरवा जनपद उन्नाव।

बरामदगी का विवरण:- 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

उ0नि0 श्री सूरज सिंह
का0 विवेकशील
का0 विकल कुमार





प्रेस नोट 10- दिनांक 07.10.2024

थाना बीघापुर, जनपद उन्नाव

ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले तीन वांछित अभियुक्त गिरफ्तार व एक बाल अपचारी पुलिस संरक्षण में लिया गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बीघापुर पुलिस द्वारा ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले चार वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 07.10.2024 को उ0नि0 हरिनिवास शर्मा मय हमराह पुलिस बल द्वारा थाना बीघापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 177/24 धारा 303(2)/317(2) BNS में वांछित अभियुक्तगण 1.सलीम पुत्र अली अहमद निवासी अमीरेपुरवा मोजाकमीर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 35 वर्ष 2. फिरोज खान पुत्र महमूद खान निवासी रहीमपुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 30 वर्ष 3. सर्वेश कुमार दिवाकर पुत्र रमेश स्वरूप राजू निवासी ग्राम कटका थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 24 वर्ष को बारासगवर जाने वाली रोड पर उदल फौजी एकेडमी के पास ग्राम रुझई से गिरफ्तार किया गया व एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक अदद आरी, 06 अदद ब्लेट व एक बड़ा लोहा कटर व एक पाइप रिंच व एक तार कटर व 03 अदद इन्सूलेटर व 04 अदद नट बोल्ट मय चीनी मिट्टी इन्सूलेटर बरामद किये गये है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) BNS की बढोत्तरी की गई है तथा गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

- 1.सलीम पुत्र अली अहमद निवासी अमीरेपुरवा मोजाकमीर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 35 वर्ष
- 2.फिरोज खान पुत्र महमूद खान निवासी रहीमपुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 30 वर्ष
- 3.सर्वेश कुमार दिवाकर पुत्र रमेश स्वरूप राजू निवासी ग्राम कटका थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 24 वर्ष
- 4.बाल अपचारी

बरामदगी का विवरण:- एक अदद आरी मय ब्लेट व 06 अदद ब्लेट व एक अदद बड़ा लोहा कटर व एक अदद पाइप रिंच व एक अदद तार कटर व 03 अदद इन्सूलेटर व 04 अदद नट बोल्ट मय चीनी मिट्टी इन्सूलेटर

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. व0उ0नि0 श्री हरिनिवास शर्मा थाना बीघापुर जनपद उन्नाव
2. का0 प्रशांत सिंह थाना बीघापुर जनपद उन्नाव
3. का0 आदित्य कुमार थाना बीघापुर जनपद उन्नाव
4. का0 संदीप गुप्ता थाना बीघापुर जनपद उन्नाव
5. का0 संजय यादव थाना बीघापुर जनपद उन्नाव



प्रेस नोट 11- दिनांक 07.10.2024

थाना अजगैन, जनपद उन्नाव

अवैध तमंचा व दो जिन्दा कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजगैन पुलिस द्वारा अवैध तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 07.10.2024 को उ०नि० श्री राम निवास मय हमराह पुलिस फोर्स द्वारा अभियुक्त बच्चन लोध पुत्र होरीलाल नि० ग्राम छेडा मजरा जन्सार थाना अजगैन जि० उन्नाव उम्र 45 वर्ष को कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर इटकुटी तिराहा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अजगैन पर मु०अ०सं० 310/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

बच्चन लोध पुत्र होरीलाल नि० ग्राम छेडा मजरा जन्सार थाना अजगैन जि० उन्नाव उम्र 45 वर्ष

बरामदगी का विवरण:- 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ०नि० श्री राम निवास
2. का० बलराम गोस्वामी
3. का० कमलेश
4. का० अभय कुमार चौहान





प्रेस नोट 12- दिनांक 07.10.2024

थाना बांगरमऊ, जनपद उन्नाव

पुलिस मुठभेड़ में गोकशी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा गोकशी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 07.10.2024 को थाना बांगरमऊ क्षेत्रांतर्गत गंज मुरादाबाद स्थित पढ़ियाना में दिनेश की बगिया में गोंवश के अवशेष मिलने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना पर क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ एवं थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच कर घटना की जांच शुरू की गई। जांच में गुल्लू उर्फ इलियास पुत्र एजाज निवासी इमलिया बाग संडीला मूल निवासी गंज मुरादाबाद थाना बांगरमऊ द्वारा घटना कारित किया जाना प्रकाश में आया। जिसके विरुद्ध थाना बांगरमऊ पर मु0अ0सं0- 399/2024 धारा 303(2) बीएनएस व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया। जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम रवाना की गई। थाना बांगरमऊ क्षेत्रांतर्गत फतेहपुर खालसा में सुरेन्द्र कश्यप के आम के बाग में गुल्लू उपरोक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में गुल्लू के पैर में गोली लगी, जिसे सीएचसी बांगरमऊ में भर्ती कराया गया। मौके से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर, दो अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, दो छुरी, मांसयुक्त खाल, एक अदद तराजू व बाट, एक अदद लकड़ी का गुटका बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 109/317(2) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

गुल्लू उर्फ इलियास पुत्र एजाज निवासी इमलिया बाग चौराहा मो0 मलखाना कस्बा व थाना संडीला जनपद हरदोई मूल निवासी मो0 कसैटा कस्बा गंज मुरादाबाद थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर, दो अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, दो छुरी, मांसयुक्त खाल, एक अदद तराजू व बाट, एक अदद लकड़ी का गुटका बरामद किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

- 1.उ०नि० श्री श्रषि कपूर
- 2.उ०नि० श्री विनोद कुमार
- 3.हे०का० धीरेन्द्र सिंह
- 4.हे०का० शाहजहां खां
- 5.का० दीपक चौधरी
- 6.का० राजकुमार
- 7.का० रजत
- 8.का० विकास कुमार
- 9.का० जितेन्द्र